

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।

पत्र संख्या- 691/NGT.OA-430/2023/2823-24

दिनांक- 05/01/24

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
इण्डिया गेट के पास, नई दिल्ली-110001

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्ठा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांक-16.12.2023 के माध्यम से गठित चार सदस्यीय संयुक्त कमेटी द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह के प्रेषित शिकायती पत्र में ईट भट्ठा के विरुद्ध दिए गए बिन्दुओं एवं ईट भट्ठों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जांच की गयी। संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्यानुसार मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्ठा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से संचालन हेतु 31.07.2025 तक की अवधि हेतु सहमति प्राप्त है। खनन व जिला पंचायत का शुल्क भी ईट भट्ठे द्वारा जमा कराया जा चुका है। मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, रामनगर, की स्थापना व संचालन राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना किए जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड से बन्दी आदेश दिनांक-21.09.2023 निर्गत है। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा वर्तमान में बन्द है। मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की स्थापना व संचालन राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना किए जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड से बन्दी आदेश दिनांक-15.07.2021 निर्गत है। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठे का संचालन स्वतः बन्द कर दिया गया है। अग्रेतर ईट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठों की सतत निगरानी हेतु सम्बन्धित थानों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में उक्त ईट भट्ठा सक्षम प्राधिकार प्राप्त किए बिना संचालित न होने पाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया

Kautilika

(कृत्तिका ज्योत्स्ना)
जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

पत्रांक 651 / मा0 रा0ह0अधिकरण / आदेश अनुपालन/23

दिनांक/6 दिसम्बर,23

विषय—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक—12.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक—12.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड, ग्राम—लहुरेपुर, मैसर्स शिवम ब्रिक फील्ड, ग्राम—रामनगर, एवं मैसर्स ए0बी0आर0 ईट भट्टा ग्राम—रसूलपुर, जनपद—सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं—

"..... 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhyog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024....."

उक्त के क्रम में अवगत हो कि प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक—01.08.2023 के क्रम में पत्र दिनांक—10.08.2023 के माध्यम से समिति का गठन किया गया था। उक्त गठित समिति द्वारा वर्णित ईट भट्टों की संयुक्त जांच कर आख्या मा0 अधिकरण को दिनांक—10.10.2023 को प्रेषित की जा चुकी है। तत्क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा वाद में पुनः दिनांक—12.10.2023 को पारित आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्णित ईट भट्टों की जांच संयुक्त रूप करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे की कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या मा0 अधिकरण को ससमय प्रेषित की जा सके।

(कृत्तिका ज्योत्स्ना)
जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर।

9/11
K1
9/11
K1

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

पत्र संख्या- 652/N.C.T-430/2023/2023-24 दिनांक- 16 दिसम्बर, 2023

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. मे0महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड, (प्रो0 श्रीमती सुन्दरकली) ग्राम-दरियापुर (लहुरेपुर), जगदीशपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।
2. मे0 मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, (पार्ट0 श्री शिवम जायसवाल) ग्राम-रामनगर, सरैया माफी, थाना-धनपतगज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।
3. मैसर्स आदर्श ब्रिक फील्ड, (प्रो0 श्रीमती कौशल्या देवी) ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ करने का कष्ट करें। अवगत हों कि आपके ईट उद्योग के विरुद्ध सक्षम विभागों से अनुमति प्राप्त किए बिना एवं नियम विरुद्ध संचालन के दृष्टिगत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.10.2023 में पारित आदेश जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. (2) District Magistrate, Sultanpur. (3) UPPCB. (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraia maafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024....."

उक्त के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में पारित आदेश एवं प्रेषित आवेदन की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 01 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को ई-मेल- judicial-nga@gov.in पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

(कृत्तिका ज्योत्सना)
जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।

जिलाधिकारी,
सुल्तानपुर

मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्टा (प्रोपराईटर श्रीमती सुन्दरकली), ग्राम-दरियापुर (लहुरेपुर), जगदीशपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्टा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024....."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-651/मा0 रा0ह0अधिकरण/आदेश अनुपालन/23 दिनांक-16 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्टा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की अद्यतन स्थिति की जांच हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्टे मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-30.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राहुल जायसवाल उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन में नहीं पाया गया। ईट भट्टे पर पथाई का कार्य होता पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

(i) सन्दर्भित ईट उद्योग सुल्तानपुर शहर से लगभग 25 किमी0 दूर हलियापुर-कुडवार मार्ग पर स्थित वल्लीपुर चौराहे से लगभग 3.0 किमी0 की दूरी पर स्थित ग्राम-लहुरेपुर, जगदीशपुर में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.416692, 81.928372 है।



(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्ठे की स्थापना वर्ष 1998-99 में की गयी थी। ईट भट्ठे की स्थापित क्षमता 22 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। ईट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 115 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च में ईट खाली पायी गयी।

(iii) निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का वित्तीय वर्ष 2023-24 का जिला पंचायत का लाइसेन्स शुल्क तथा खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा होने की पुष्टि हुई।

(iv) ईट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 1.0 किमी० की दूरी पर ग्राम-पूरे भोला तिवारी की आबादी लगभग 25-30 घर (लगभग 125-150 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 430 मीटर की दूरी पर ग्राम-रैनापुर की आबादी लगभग 20-25 घर (लगभग 100-125 व्यक्ति), उत्तर दिशा में लगभग 350 मीटर की दूरी पर ग्राम-जगदीशपुर की आबादी लगभग 40-45 घर (लगभग 200-225 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 350 मीटर पर ग्राम-लहुरेपुर की आबादी लगभग 40-45 घर (लगभग 200-225 व्यक्ति) स्थित है।

(v) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को संचालन हेतु नियमानुसार सहमति (जल/वायु) 31.07.2025 तक की अवधि हेतु निर्गत है। ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा निर्गत सहमति की शर्तों के अनुपालन के क्रम में अधिकृत प्रयोगशाला से चिमनी की अनुश्रवण आख्या दिनांक-05.05.2021 व दिनांक-05.06.2023 उपलब्ध कराया गया है। जो मानकों के अनुरूप है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थल तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप पाया गया।

उपरोक्तानुसार अवगत कराना है कि ईट भट्ठे की स्थापना निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 1998-99 में की गयी थी। तत्समय ईट भट्ठा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुसार स्थापित किया जाना प्राविधानित था। ईट भट्ठे के संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थापना स्थल तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप पाया गया। वर्तमान में ईट भट्ठे को संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति (जल/वायु) 31.07.2025 तक की अवधि हेतु निर्गत है।

 (मनीष त्रिपाठी) वैज्ञा० सहा० उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड रायबरेली	 (प्रदीप कुमार विश्वकर्मा) क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड रायबरेली	 (सिद्धार्थ शंकर पाण्डेय) जिला खान अधिकारी सुल्तानपुर	 (हरिओम नारायण चन्द्र) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सुल्तानपुर	 (विदुषी सिंह) उप जिलाधिकारी तह०-बल्दीराय, सुल्तानपुर
---	--	---	--	--

मैसर्स आदर्श ईट उद्योग (प्रोपराईटर श्रीमती कौशल्या देवी), ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्टा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhyog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024....."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-651/मा0 रा0ह0अधिकरण/आदेश अनुपालन/23 दिनांक-16 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्टा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की अद्यतन स्थिति की जांच हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्टे मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-30.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री दिनेश जायसवाल उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

(i) सन्दर्भित ईट उद्योग सुल्तानपुर शहर से लगभग 25 किमी0 दूर हलियापुर-कुडवार मार्ग पर स्थित रसूलपुर चौराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित ग्राम-रसूलपुर में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.409925, 81.891422 है।

Cia

Agnd

Agnd

Agnd

(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्ठे की स्थापना वर्ष 2005-06 में की गयी थी। ईट भट्ठे के स्थापित क्षमता 17 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। ईट भट्ठे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 105 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च खाली पाया गया।

(iii) उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन स्वतः बन्द किया जाना अवगत कराया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठा का संचालन स्वतः बन्द किए जाने की लिखित सूचना पत्र दिनांक-30.04.2022 एवं दिनांक-07.04.2023 के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

(iv) निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का वित्तीय वर्ष 2023-24 का जिला पंचायत लाइसेन्स शुल्क तथा खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा न होने की पुष्टि हुई।

(v) ईट भट्ठा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर ग्राम-चक फाजिलपुर की आबादी लगभग 40-45 घर (लगभग 200-225 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर ग्राम-रसूलपुर की आबादी लगभग 30-40 घर (लगभग 150-200 व्यक्ति), उत्तर दिशा में हलियापुर-कुडवार रोड के दोनों तरफ (व्यावसायिक-आवासीय मिश्रित क्षेत्र) लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगभग 50-60 घर (लगभग 250-300 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-मोहम्मदपुर-काजीपुर की आबादी लगभग 40-50 घर (लगभग 200-250 व्यक्ति) स्थित है।

(vi) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को स्थापना/संचालन हेतु नियमानुसार अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है।

(vii) निरीक्षण के समय प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईट भट्ठा स्थल स्थापना के समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियों तथा वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया।

(viii) ईट भट्ठे द्वारा स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न किए जाने के दृष्टिगत पूर्व में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच63465/सी-5/सा०-546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021 दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से ईट उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी निर्देश निर्गत किया गया था। जो अद्यतन प्रभावी है।

(ix) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट उद्योग का संचालन किसी भी दशा में न किए जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या-440/ए-43/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से भी निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार अवगत कराना है कि निरीक्षण के समय ईट भट्ठा स्थापना स्थल तत्समय प्रभावी जिला पंचायत की उपविधियां तथा वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं पाया गया एवं ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की अनापत्ति/सहमति प्राप्त किए बिना ईट भट्ठे की स्थापना/संचालन के दृष्टिगत राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेश दिनांक-15.07.2021 के

माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत है। ईट भट्टे द्वारा बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्टे का संचालन स्वतः बन्द किए जाने की लिखित सूचना भी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को दिया गया है। अतः निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्टे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया।

Ayaz
(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञा० सहा०
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली

Kav
(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली

Siddharth
04/01/24
(सिद्धार्थ शंकर पाण्डेय)
जिला खान अधिकारी
सुल्तानपुर

Him
21/1/24
(हरिओम नारायण चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
सुल्तानपुर

H
(विदुषी सिंह)
उप जिलाधिकारी
तह०-बल्दीराय,
सुल्तानपुर

मैसर्स मां वैष्णो ब्रिक फील्ड (पार्टनर श्री शिवम जायसवाल), ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-घनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के सन्दर्भ में संयुक्त कमेटी की जाँच आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-12.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कि मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्ठा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णो ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर से सम्बन्धित है। जिसके सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

"..... 2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024....."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा पत्र संख्या-651/मा0 रा0ह0अधिकरण/आदेश अनुपालन/23 दिनांक-16 दिसम्बर, 2023 के माध्यम से मैसर्स महालक्ष्मी ईट भट्ठा, लहुरेपुर, वल्लीपुर, मैसर्स मां वैष्णो ब्रिक फील्ड, रामनगर, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, रसूलपुर, जनपद-सुल्तानपुर की अद्यतन स्थिति की जांच हेतु निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली।
2. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. जिला खान अधिकारी, सुल्तानपुर।

उपरोक्त गठित संयुक्त कमेटी द्वारा ईट भट्ठे मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संयुक्त निरीक्षण दिनांक-30.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री शिवम जायसवाल, (पार्टनर) उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

(i) सन्दर्भित ईट उद्योग सुल्तानपुर शहर से लगभग 20 किमी० दूर हलियापुर-कुडवार मार्ग पर स्थित, सरैयामाफी चौराहे से लगभग 2.0 किमी० की दूरी पर स्थित ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी में स्थापित है। ईट भट्टे का अक्षांश, देशान्तर क्रमशः 26.397908, 81.945231 है।

(ii) उपस्थित प्रतिनिधि के अनुसार ईट भट्टे की स्थापना वर्ष 2013-14 में की गयी थी। ईट भट्टे की स्थापित क्षमता 19 पाया लगभग 25000 ईट/दिन उत्पादन की है। ईट भट्टे में गैसीय उत्सर्जकों के निस्तारण हेतु भूतल से लगभग 120 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। निरीक्षण के समय चिमनी से सम्बद्ध ट्रेन्च में पुरानी ईट भरी हुयी पायी गयी।

(iii) निरीक्षण के समय ईट भट्टे का वित्तीय वर्ष 2023-24 का जिला पंचायत का लाइसेन्स शुल्क तथा खनन विभाग का विनियमन शुल्क जमा न होने की पुष्टि हुई।

(iv) ईट भट्टा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पूरे चेती दुबे तत्पश्चात लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चेती दुबे की आबादी लगभग 35-40 घर (लगभग 175-200 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी० तक कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात ग्राम-चकमुसी की आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-रामनगर की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-पूरे कुटवन की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) स्थित है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चकमुसी की आबादी लगभग 25-30 घर (लगभग 125-150 व्यक्ति) स्थित है।

(v) क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्टे को स्थापना/संचालन हेतु नियमानुसार अनापत्ति/सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है। निरीक्षण के समय प्राप्त तथ्यों के अनुसार ईट भट्टा स्थल वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 के अनुरूप नहीं पाया गया।

(vi) ईट भट्टे द्वारा स्थापना/संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति प्राप्त न किए जाने तथा संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन में न होने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच०1055/सी-5/आर/ईट-235/23 दिनांक-21.09.2023 के माध्यम से ईट उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'ए' के अन्तर्गत बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत किया गया है।


(vii) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश/निर्देश के अनुपालन में ईट उद्योग का संचालन किसी भी दशा में न किए जाने हेतु ईट भट्टे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या-439/एम-35/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार अवगत कराना है कि ईट भट्टे की स्थापना ईट भट्टा प्रतिनिधि के अनुसार वर्ष 2013-14 में की गयी थी। तत्समय ईट भट्टे की स्थापना हेतु पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार ईट भट्टे की स्थापना किया जाना प्राविधानित था। ईट भट्टे के संयुक्त निरीक्षण के समय ईट भट्टा स्थापना स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्राविधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। वर्तमान में ईट भट्टे के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

से बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत है और ईट भट्ठा संचालन में नहीं है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली के पत्र संख्या-439/एम-35/एस/2023-24 दिनांक-27.09.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे को निर्गत बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित भी किया गया है। अतः निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया।


(मनीष त्रिपाठी)
वैज्ञा० सहा०
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली


(प्रदीप कुमार विरक्तकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्र० नि० बोर्ड
रायबरेली


(सिद्धार्थ शंकर पाण्डेय)
जिला खान अधिकारी
सुल्तानपुर


(हरिओम नारायण चन्द)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,
सुल्तानपुर


(विदुषी सिंह)
उप जिलाधिकारी
तह०-बल्दीराय,
सुल्तानपुर

कुपदा मा० रास्ट्रीय हरित अधिनियम नई दिल्ली में चोजित ०४
 संख्या ४३०/२०२३ में मा० अधिनियम द्वारा पारित आदेश
 दिनांक १२/१०/२०२३ के क्रम में जिलाधिकारी गद्येवदा सुल्तानपुर
 द्वारा आदेश संख्या ६५१/मा० रा० ह० अधिनियम। आदेश अमु०/२३
 दिनांक १६/१२/२३ के माध्यम से गठित समिति द्वारा ईट
 ऋद्धे के आदर्श ईट उद्योग, ग्राम रसूलपुर पो० तल्लीपुर
 तहसील सुल्तानपुर का निरीक्षण दिनांक ३०/१२/२३
 को सिपा गदा। निरीक्षण के समक्ष ईट ऋद्धे संयालय (फुर्कड)
 के नही पादा गदा। ईट ऋद्धे के समीप ईट पधार्ड का
 कार्य होता पादा गदा। ईट ऋद्धे के विपक्ष राज्य प्रदूषण
 निपंत्रण बोर्ड ने आदेश दिनांक १५/१/२१ के माध्यम से
 बन्दी आदेश निर्गत है। उपस्थित प्रतियिधि श्री शिरोरा
 जायसवाल द्वारा विगत २ वर्षों से ईट ऋद्धे का
 संयालय स्वतः बन्द कर दिने जाने की सूचना दी गई।
 उपस्थित प्रतियिधि को बन्दी आदेश की प्रति प्राप्त करते
 हुये ईट ऋद्धे को बन्द रखने हेतु निर्देशित सिपागदा।


R.S.
285


M.J.
Sultanpur


30/12/23
SA UPPCB
RDL


N.T.R.
30/12/2023

कृपया मा० राक्षिय हरित अधिनियम, नई दिल्ली में योजित O.A संख्या 430/2023 में मा० अधिनियम द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/10/2023 के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर द्वारा आदेश संख्या 651/मा० रा० ह० अधिनियम / आदेश अन्त० 23 दिनांक 16/12/23 के माध्यम से गठित समिति द्वारा ईट गढ़ में महालक्ष्मी ब्रिक फील्ड, ग्राम दरियापुर (लडुरेपुर) जगदीशपुर, पो० बल्लीपुर, तह० बल्लीराय, सुल्तानपुर का निरीक्षण दिनांक 30/12/23 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट गढ़ संचालन (फुन्ड) में नहीं पाया गया ईट गढ़ पर कच्ची ईट पक्वई का कार्य होता पाया गया। उपस्थित ईट गढ़ प्रतिनिधि श्री राहुल जायसवाल द्वारा प्रश्न, खतर, जी०एस०टी, जिला पंचायत के सम्बन्धित प्रस्तुत सिधे गये।

[Signature]
30/12/23
ZPS R-I

[Signature]
30/12/23

MI
Sultanpur.

[Signature]
30/12/23
SA UPPES
RBL

[Signature]
N.P.O
30/12/2023

राहुल जायसवाल

Mob 8004423684

30/12/2023

उपमा का. राष्ट्रिय हरित अधिनियम, नई दिल्ली में पंजीत O A संख्या 430/2023 में का. अधिनियम द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/10/2023 में क्रम में त्रिजाधिवारी गद्दादमा सुल्तानपुर द्वारा आदेश संख्या 651/का.रा.ह. अधिनियम/आदेश अम०/23 दिनांक 16/12/23 के माध्यम से गठित समिति द्वारा ईट ब्रूके के. में मौ. तैयारी वि. पी. डी. शाह रायनगर, सरैया माफी, घनपतगंज, बलदीराय, सुल्तानपुर का निरीक्षण दिनांक 20/12/23 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट ब्रूके संयालय (फुर्कड) में नहीं पाया गया। ईट ब्रूके पर फिट्टी व ईंधन पाया गया। ईट ब्रूके के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आदेश दिनांक 21/9/23 के माध्यम से बन्दी आदेश निगत है उपरि उक्त प्रतिनिधि श्री शिवम जायसवाल को बन्दी आदेश की प्रति प्राप्त कराते हुए अग्रिम आदेशों तक ईट ब्रूके का संयालय न सिधे जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

[Signature]
R.T.
285

[Signature]
A. Jadhav
30/12/23

MI
Sultanpur

[Signature]
30/12/23
SA UPPCB RSL

[Signature]
N. J. B.
30/12/2023

शिवम जायसवाल
6307224002
30/12/23



Latitude: 26.416528

Longitude: 81.927909

Elevation: 115.66±11 m

Accuracy: 10.7 m

Time: 30-12-2023 13:29

Note: MahalaxmiEntUdyog



Latitude: 26.397759

Longitude: 81.945243

Altitude: 45.0±11 m

Accuracy: 7.0 m

Time: 2023-12-30 14:05

Note: Maa Vaishno Ent Udyog



Latitude: 26.410328

Longitude: 81.891277

Elevation: 101.55±12 m

Accuracy: 6.0 m

Time: 30-12-2023 14:46

Note: Adarsh Ent Udyog

कार्यालय जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

पत्र संख्या-690/N/1 T.OA-430/2023/2023-24

दिनांक- 05/01/24

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

1. थानाध्यक्ष, थाना-बल्दीराय, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।
2. थानाध्यक्ष, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय के विरुद्ध योजित वाद ओ0ए0 संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में दिनांक-12.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र दिनांक-16.12.2023 के माध्यम से गठित चार सदस्यीय संयुक्त कमेटी द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह के प्रेषित शिकायती पत्र में ईट भट्ठा के विरुद्ध दिए गए बिन्दुओं एवं ईट भट्ठों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जांच की गयी। संयुक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्यानसार मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर, की स्थापना व संचालन राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना किए जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड से बन्दी आदेश दिनांक-21.09.2023 निर्गत है। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा वर्तमान में बन्द है। मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर की स्थापना व संचालन राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त किए बिना किए जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड से बन्दी आदेश दिनांक-15.07.2021 निर्गत है। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा स्वामी द्वारा ईट भट्ठे का संचालन स्वतः बन्द कर दिया गया है।

अतः ईट भट्ठे के विरुद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के बन्दी आदेश के अनुपालन में दोनो ईट भट्ठों मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, एवं मैसर्स आदर्श ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पो0-वल्लीपुर, थाना व तह0-बल्दीराय, की सतत निगरानी करना सुनिश्चित करें। जिससे ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न होने पाये।


(कृत्तिका ज्योत्सना)
जिलाधिकारी
सुल्तानपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सुल्तानपुर।
3. उप जिलाधिकारी, तह0-बल्दीराय, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, रायबरेली।


जिलाधिकारी
सुल्तानपुर



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

87

Building: No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

CONSENT ORDER

Ref No. -
100954/UPPCB/Raebareli(UPPCBRO)/CTO/air/SULTANPUR/2020

Dated : 26/09/2020

To,

Shri SUNDAR KALI
M/s MAHA LAXMI ENT BHATTA
VILL DARIYAPUR POST VALLIPUR SULTANPUR U.P, SULTANPUR, 227812
SULTANPUR

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended)
to M/s. MAHA LAXMI ENT BHATTA

Reference Application No. 9251815

Dated : 26/09/2020

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s MAHA LAXMI ENT BHATTA. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
 2. This consent is valid for the period from 09/08/2020 to 31/07/2025 .
 3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
- This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Amit Mishra Digitally signed by Amit Mishra -
Date: 2020.10.04 14:50:21 +05:30
Regional officer

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Chief Environment Officer (5), UP, Pollution control board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomati
Nagar, Lucknow.

Amit Mishra Digitally signed by Amit Mishra -
Date: 2020.10.04 14:50:21 +05:30
Regional officer

CONDITIONS OF CONSENT

This consent is valid only for the approved production capacity of 25000 brick/day.

This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.

3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

3(b) Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Pollution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	Brick Stack	coal/agriculture residue 4.0 ton/day	1	Particulate Matter	115 Feet above ground level

3(c) The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board.

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	1	Particulate Matter	as per CPCB norms

4. Quantity of other pollutants should also be as per the norms prescribed by the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .

5. The equipment for air pollution control system and monitoring ,as proposed by the industry and approved by the Board should be installed in their premises itself .

6. The modification or installation in the existing pollution control equipments should be done only by prior approval of Board .

7. The operation of air pollution control system and maintenance be done in such a way that the quantity of pollutants should be in accordance with the standards prescribed by the Board/MoEF & CC/or otherwise mandatory .

8. Unit should do provisions for fugitive emissions chimney/stack as per the norms of the Board/MOEF & CC/or otherwise mandatory .

9. The unit should submit the stack emissions monitoring report within one month from issuance of consent order along with the point wise compliance report of the consent order . Further quarterly monitoring report should be submitted .

Specific Conditions:

On the basis of observations made in inspection report of M/s MAHA LAXMI ENT BHATTA, VILL DARIYAPUR POST VALLIPUR SULTANPUR U.P, SULTANPUR recommended for grant of conditional consent (Air) with following special conditions:-

- 1- Brick kiln shall ensure adequate plantation and proper green belt around the premises.
 - 2- Brick kiln shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/plant machinery. Failing which consent would be deemed rejected.
 - 3- Brick kiln shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
 - 4- Brick kiln should fully comply the conditions mention in environmental CLEARANCE.
 - 5- Brick kiln shall not use hazardous waste like spent organic solvent, oily residue, pet coke, filter press cake, and other wastes like plastic, rubber, leather cutting etc.
 - 6- Brick kiln shall provide permission to this office issued by Zila Panchayat and Mining Department within three month from date of issue of this consent to operate.
 - 7- Brick kiln shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
 - 8- The brick kiln should ensure full compliance of prescribed emission standards as notified by Ministry of Environment and forest, Government of India via serial no. 74 of Schedule-I in notification no. GSR 543(E) dated 22-07-2009 issued under Environment (Protection) Rules, 1986.
 - 9- The brick kiln should comply the notification issued under the Environment (Protection) Act, 1986
 - 10- The brick kiln should installed lighting arrestor as per the PWD norms or any other standard design for brick kiln to avoid the damage to stack caused due to lighting attack.
 - 11- Compliance report of this consent order must be sent to this office within two months.
 - 12- Ash content should be used for low lying land filling in a scientific manner.
 - 13- The brick kiln should regularly operate and maintain Air Pollution Control System (APCS) so that it meet stipulated emission standard.
 - 14- Stack emission monitoring test should be carried out from Environment (Protection) Act, 1986 approved laboratory/NABL laboratory by the brick kiln and submit monitoring report to the Board within two months.
 - 15- Proposal of Zig-zag technology should be submitted as earliest with time bound program.
 - 16- The Brick Kiln should be paved with the bricks to minimize the fugitive dust emissions from the Brick Kiln operations.
 - 17- The Brick kiln fine dust not to accumulate all around the Brick kilns.
 - 18- This consent will be automatically rejected on receiving of any complaint against brick kiln.
- Please note that consent to operate will be revoked, in case of non compliance to any of the above mentioned conditions, Board reserves its right for amendment or cancellation of any of the conditions specified above. Industry is directed to submit its first compliance report regarding above mentioned specific and general conditions in One month in this office. Ensure to submit the regular compliance report otherwise the Consent to operate will be revoked.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Amit Mishra
Regional officer

Digitally signed by Amit Mishra
Date: 2020.10.04 14:50:43
+05'30'



Global Environmental Consultancy And Research Centre

2/390 A, Vibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

An ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 Certified Laboratory

Accredited by NABL

Mob: +91-9454278891, 7607377997, 8960040004, 8299682829 E-mail: infogecrc@gmail.com

TEST REPORT (Source Emission)

Report No. GECRC/ST/23/06/05/001

Reporting Date: 05.06.2023


Name & Address of Party	M/s, MAHALUXMI ENTHHATTA Vill- Dariyapur, Post-Wallipur Distt- Sultanpur (U.P.)		
Client Representative (Name & Designation)	-	Sample Description	Brick Kilns Stack (16500 Bricks per day)
Sample Collected by (Name & Designation)	Sampling Staff	Sample Number	GECRC/ST/23/05/30/001
Date of Sampling & Time		Format No.	7.5 F-03
Sampling Location & Code	30.05.2023 & 13:30	Party Ref. No	-
Sampling Duration (Minutes)	Brick Kilns	Receipt Date	30.05.2023
Operating Schedule (Hrs./day)	40	Latitude	-
Scope of Monitoring	As per requirement	Longitude	-
Purpose of Monitoring	Environment Monitoring	Stack attached to	Brick Kilns
Control measure if any	Compliances Requirement	Diameter of Stack	1.4 mtr.
Meteorological Condition	Gravity settling chamber	Make of Stack	BCC
Operating condition at the time of sampling	Clear Sky	Height of Stack	38 mtr.
Instrument code	Clear	(i) From the Source of emission	Brick Kilns
Instrument calibration status	GECRC/EQP/05	(ii) From roof level	-
Ambient Temperature - Ta (°C)	Calibrated	(iii) From Ground Level	-
Temperature of Stack Gases - Ts (°C)	39	Type of fuel used	Coal
Velocity of Stack Gases (m/ sec.)	124.7	Flow rate of PM (LPM)	23
Volumetric Flow (NM ₃ / Hr.)	4.9	Flow rate of Gas (LPM)	02
Parameter Required	22895.5	Sampling condition	Isokinetic
	Particulate Matter (PM)	Protocol used	IS: 11255 & CPCB Guidelines

RESULTS

No.	Parameters	Test Method /Protocol	Unit	Results	Standards*
	Particulate Matter (PM)	IS: 11255 (Part-1)	mg/Nm ³	567.2	750

*ENVIRONMENT PROTECTION RULES 1986 Schedule I, S. No. 70, Page No.-459 Boiler (Small)

Checked by: Neha

Authorized Signatory

 Name: Raj Kumar
 Designation: Technical Manager

****End of the Report****

Note:

- This report is not to be reproduced wholly or in part and cannot be used as evidence in the court of law and should not be used in any advertising media without our special permission in writing.
- The sample will be destroyed after 15 days from the date of issue of test certificate unless otherwise specified.
- Any discrepancy in test result should be reported within 15 days.
- The above Results are related to the tested Sample Only.

श्री महालक्ष्मी ईट भट्टा

ग्रामसभा-दरियापुर, जगदीशपुर, पो0-वलीपुर, जनपद-सुलतानपुर

दिनांक 26-12-2023

पत्रांक

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रायबरेली

सी० ब्लाक आवास विकास कालोनी, इंदिरा नगर रायबरेली, 229001

Dairy No. 229

File No.

Letter Sl. No.

Checked By.

विषय :-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ० ए० संख्या - 430/2023

राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट आफ उ० प्र० व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश

दिनांक 12/10/2023 के सम्बन्ध में -

महोदय,

आपके पत्र संख्या 652/NGT. 430/2023/ 23 - 24 दिनांक 16/12/2023 के माध्यम से दिए गये निर्देश के पालन में सादर अवगत कराना है की प्रार्थिनी के ईट भट्टे के खिलाफ मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दायर वाद संख्या 430/2023 राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ उ० प्र० व अन्य में शिकायत कर्ता श्री राजेंद्र सिंह द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में मेरे ईट भट्टे मे० महालक्ष्मी बिक्र फील्ड ग्राम दरियापुर (लहुरेपुर) जगदीशपुर, पोस्ट - वलीपुर, थाना व तहसील - बल्दीराय जनपद - सुलतानपुर, द्वारा प्रदूषण खनन जिला पंचायत व वाणिज्य कर विभाग से अनुमति प्राप्त किये बिना ही ईट भट्टे का संचालन किये जाने के सम्बंधित मनगढ़ंत आरोप लगाया है।

जिसके सम्बन्ध में महोदय मेरा पक्ष यह है की -

- मेरा ईट भट्टा महालक्ष्मी बिक्र फील्ड ग्राम - दरियापुर (लहुरेपुर) जगदीशपुर, तहसील - बल्दीराय में वर्ष 1999 से स्थापित है तथा मेरे द्वारा ईट भट्टे को चलाने हेतु प्रदूषण विभाग से दिनांक 15/11/2018 को सहमती संख्या 37509/UPPCB/Raebareli(UPPCBRO)/CTO/air/SULTANPUR/2018 दिनांक 15/11/2018 से 31/07/2020 व 100954/UPPCB/Raebareli(UPPCBRO)/CTO/air/SULTANPUR/2020 जिसकी अवधि दिनांक 09/08/2020 से 31/07/2025 तक सहमति पत्र प्राप्त की गयी है इसकी छायाप्रति सन्लग्न है।

Attest

28/12/23

Copy
02/01/24

3. मेरे ईट भट्टे का जिला पंचायत (परिषद्) का लाइसेंस हेतु वर्ष 2012 से 2023 तक लगातार जमा किया जा रहा है जिसकी रसीदें संलग्न है।
4. मेरे ईट भट्टे द्वारा वाणिज्य कर विभाग का रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रति वर्ष नियम के अनुसार टैक्स जमा किया जा रहा है जिसकी रसीदें संलग्न है।
5. महोदया मेरे द्वारा ईट भट्टे की फुकाई के सीजन में ईट भट्टे से निकलने वाली गैसों की जांच भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराई जा चुकी है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मनको के अनुसार है।


महोदया सादर सूचित करना है अपीलकर्ता द्वारा द्वेष भावना से प्रेरित होकर बिना तथ्यों की जाँच किये मेरे भट्टे के खिलाफ माननीय न्यायालय अपील की है।

अतः महोदया जी से सादर अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों की एवं ईट भट्टे की जाँच कराकर बलहीन शिकायत को समाप्त करने की कृपा करें जिससे प्रार्थिनी अपनी जीविका हेतु ईट भट्टे का संचालन सुगमतापूर्वक कर सके।

संलग्नक -

1. प्रदूषण विभाग की सहमति पत्र
2. खनन विभाग का रसीदे
3. जिला पंचायत की रसीदें
4. वाणिज्य कर विभाग की रसीदें
5. चिमनी की प्रयोगशाला रिपोर्ट

प्रार्थिनी -



सुन्दर कली पत्नी गया प्रसाद
ग्राम - दावतपुर, पोस्ट - वलीपुर
तहसील - बल्दीराय,
जनपद - सुलतानपुर
मो० नं० - 8004423684



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

93

पत्रांक संख्या-.....H0.1055 / सी-8 / 2/ईट-235/23

दिनांक.....21/09/23
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स मों वैष्णों ब्रिक फील्ड,
ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तहो-बल्दीराय,
जनपद-सुल्तानपुर।

यह कि मैसर्स मों वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तहो-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर जिसे द्वारा कच्चे माल के रूप में भिट्टी, पानी, कोयले का प्रयोग कर ईट के उत्पादन के कार्य हेतु वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उक्त ईट भट्टे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टे के ट्रेन्च में ईट भरी होने के कारण ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नहीं किया जा सका। ईट भट्टा वर्ष 2014 से संचालित है।

यह कि निरीक्षण आख्यानानुसार ईट उद्योग द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना हेतु अनापत्ति प्रनाय पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त नहीं है। राज्य बोर्ड से अनापत्ति एवं सहमति प्राप्त न होने की दशा में ईट भट्टे पर वर्ष 2012 में जारी ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012 प्रभावी होगी। ईट भट्टा स्थल निरीक्षण के समय उक्त नियमावली के अनुरूप नहीं पाया गया है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि:

.....21. Restrictions on use of certain industrial plant.--

(4) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि निरीक्षण आख्यानानुसार ईट भट्टा की चिमनी से पूरब दिशा में लगभग 300 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय पूरे चेंती दुबे तत्पश्चात लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चेंती दुबे की आबादी लगभग 35-40 घर (लगभग 175-200 व्यक्ति), पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 किमी0 तक कृषि योग्य भूमि तत्पश्चात ग्राम-चकमुसी की आबादी, उत्तर दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-रामनगर की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) तथा दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-पूरे कुटवन की आबादी लगभग 15-20 घर (लगभग 75-100 व्यक्ति) स्थित है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्राम-चकमुसी की आबादी लगभग 25-30 घर (लगभग 125-150 व्यक्ति) स्थित है, जो कि ईट भट्टे की स्थापना हेतु उ0प्र0 शासन पर्यावरण अनुभाग के पत्र संख्या-821/55-पर्या0/12-97 (पर्या0)/11 दिनांक 27.06.2012 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है। उक्त के कम में क्षेत्रीय अधिकारी, रायबरेली के पत्र संख्या-418/एम-35/एस/2023-24 दिनांक 15.09.2023

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010
ई-मेल-info@uppcb.com
वेब साइट-www.uppcb.com

...2

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

द्वारा ईट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा- 31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन ईट भट्ठा मैसर्स मॉ वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर के विरुद्ध निम्नवत् बन्दी आदेश/निर्देश जारी किया जाता है:-

1. मैसर्स मॉ वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. मैसर्स मॉ वैष्णों ब्रिक फील्ड, ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज, तह0-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर की विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं ईट भट्ठे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
3. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि ईट भट्ठे को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
2. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सुल्तानपुर।
3. जिला खनन अधिकारी, सुल्तानपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्ठे को बन्दी आदेश/निर्देश की प्रति प्राप्त कराकर उक्त का अनुपालन 03 दिन में कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या प्रेषित करते हुए सतत् अनुश्रवण रखें।

प्राप्त
मुख्य पर्यावरण
30/12/23
6307224002

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5

or



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवास विकास कालोनी
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक-U39/M-35/S/2023-24

दिनांक-27/9/2023

सेवा में,

मैसर्स मां वैष्णों ब्रिक फील्ड,
ग्राम-रामनगर, सरैयामाफी, थाना-धनपतगंज,
तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

विषय-ईट भट्ठे के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश/निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि ईट भट्ठे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा आपके ईट भट्ठे की जांच दिनांक-14.09.2023 को की गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को स्थापना पूर्व अनापत्ति तथा संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना ईट भट्ठे की स्थापना/संचालन के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच०1055/सी-5/आर/ईट-235/23 दिनांक-21.09.2023 के माध्यम से बन्दी आदेश/निर्देश निर्गत किया गया है।

तत्क्रम में बन्दी निर्देश की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बन्दी निर्देश के अनुपालन में ईट भट्ठे का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें। बन्दी निर्देश जारी होने के पश्चात ईट भट्ठे का संचालन पाये जाने पर ईट भट्ठे के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 27/09/23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-सुल्तानपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63465/सी-5/सा0-546/21/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Adarsh Ent Uddyog,
Rasoolpur, Sadar, Sultanpur

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद सुल्तानपुर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-5)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त कराये एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-5)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

आदेशावली
30-12-23
88086/10745



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी-ब्लाक, इन्दिरा नगर, आवारा विकास कालोनी
रायबरेली-229001 (उ०प्र०)

पत्रांक-440/A-43/S/2023-20
सेवा में,

दिनांक-27/9/2023

मैसर्स आदर्श ईट उद्योग,
प्र० श्रीमती कौशिल्या देवी,
ग्राम-रसूलपुर, पो०-घल्लीपुर,
थाना व तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

विषय-ईट भट्ठे के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत हों कि ईट भट्ठे के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-430/2023 राजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक-01.08.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, सुल्तानपुर द्वारा गठित संयुक्त कमेटी द्वारा आपके ईट भट्ठे की जांच दिनांक-14.09.2023 को की गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालन (फुँकाई) में नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, रायबरेली के अभिलेखानुसार ईट भट्ठे को स्थापना पूर्व अनापत्ति तथा संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) निर्गत नहीं है। राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना ईट भट्ठे की स्थापना/संचालन के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत ईट भट्ठे के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एच63465/सी-5/सा०-546/21/ईट भट्ठा/बन्दी आदेश/सुल्तानपुर/2021 दिनांक-15.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। कृपया सूच्य हो कि आप द्वारा अपने पत्र दिनांक-07.04.2023 के माध्यम से ईट भट्ठे का संचालन स्वयं बन्द किए जाने की सूचना भी इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

तत्क्रम में बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि बन्दी आदेश के अनुपालन एवं अपने पत्र दिनांक-07.04.2023 के क्रम में ईट भट्ठे का संचालन किसी भी दशा में न करें। बन्दी आदेश जारी होने के पश्चात ईट भट्ठे का संचालन पाये जाने पर ईट भट्ठे के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

Handwritten signature
(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी 27/9/23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, जनपद-सुल्तानपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. उप जिलाधिकारी, तह०-बल्दीराय, जनपद-सुल्तानपुर।

Handwritten signature
क्षेत्रीय अधिकारी 27/9/23

Received by hand 21/4/22

NO: 09AMRPD9933G1ZK

Mob.: 9452312195

आदर्श ईट उद्योग

रसूलपुर, वल्लीपुर, मुसाफिरखाना, सुलतानपुर (उ०प्र०) 227812

पत्रांक

दिनांक... 30/4/22

प्रति मे श्रेष्ठ-आध्यकारी प्रमुख विपणन वि.
रायबरेली

बहिष्कार

अपगत कराना है कि आपके कार्यालय के सभी
कार्यों के पालन में मेरे द्वारा आदर्श
उद्योग रसूलपुर वली मुसाफिरखाना का (न्याय) का
बंद कर दिया है.

आदर्श ईट उद्योग

निदेशक यंड जा...
मोबाइल
वाले कार्यालय के

24/5/23

23

15/11/22

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सी० ब्लाक-इन्दिरा नगर आवास विकास कालोनी
रायबरेली।

Dairy No..... 40
File No.... A-43/22
Letter Sl. No.... 15/11/22
Checked By.....

विषय- प्रार्थनापत्र बाबत मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर
वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर भट्ठा बंदी
सूचना के सम्बंध में।

महोदय,

बिनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व तहसील-बल्दीराय जिला सुलतानपुर की निवासिनी हैं प्रार्थिनी मेसर्स आदर्श ईट उद्योग स्थित रसूलपुर वलीपुर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर की प्रोपराइटर थी प्रार्थिनी के उक्त भट्ठा पर भूमि मिट्टी समाप्त हो जाने एवं काश्तकार से मिट्टी पुनः न मिलने से व पुनः एग्रीमेंट न हो पाने से उक्त भट्ठा पर ईट निर्माण माह जुलाई 2022-2023 से पथाई, फुकाई, कार्य बंद हो गया है। प्रार्थिनी अपने उक्त फर्म की भट्ठा बंदी सूचना श्रीमान्जी को दे रही है।

अतः श्रीमान्जी से करबद्ध प्रार्थना है कि भट्ठा बंदी सूचना स्वीकार किये जाने की कृपा की जाय।
संलग्नक-शपथ पत्र मूल रूप से।

प्रार्थिनी- कौशिल्या देवी

कौशिल्या देवी पत्नी श्री दिनेश चन्द्र जायसवाल
निवासी ग्राम दावतपुर मजरे हेमनापुर थाना व
तहसील-बल्दीराय
जिला सुलतानपुर
दिनांक- 07.04.2023
मो० नं०-8808618745

20
15/11/23

Agarwal
15/11/23

Item No. 09

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.**

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No. 430/2023

Rajendra Singh

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent

Date of hearing: 12.10.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER.
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Application is registered based on a letter petition received by E-mail

ORDER

1. In compliance of order dated 01.08.2023 report of the Joint Committee has been filed vide email dated 10.10.2023.
2. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sultanpur, (3) UPPCB, (4) M/s Maha Laxmi Ent Bhat, proprietor (Smt Sunder Kali) Village Dariyapur (Luhrepur, Jagdishpur) Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur, (5) M/s Ma Vaishno Brick Field partner (Shri Shivam Jaiswa), Village Ram Nagar, Saraiamafi, Police Station Dhanpatganj, Tehsil Baldirai, District Sultanpur and (6) M/s Adarsh Ent Udhyog proprietor (Smt Kaushalya Devi), Village Rasulpur, Post office Vallipur, Police Station and Tehsil Baldirai, District Sultanpur,

who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.

3. The Registry is directed to issue notices to respondents No. 1 to 6 requiring them to file their reply/response within three months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on respondents no. 4 to 6 through the District Magistrate, Sultanpur and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Sultanpur by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard.

5. List for further consideration on 18.01.2024.

6. A copy of this order and notices issued along with a copies of the application and documents attached with the same be sent to the District Magistrate, Sultanpur by e-mail for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 12th, 2023